

#1238



ग्रामीण सेवा शिविर-2025

स्वायत्त उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर, कपासन जिला - चित्तौड़गढ़

धारा अन्तर्गत - 136 प्र.सं. 684 दायर दिनांक 3/10/2025 निर्णय दिनांक 3/10/25

क्र.म.	नाम-ग्राम	स्थान	रिपोर्ट	कार्यलय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर कपासन आदेश
1	लाखा का नौरा	५४	<p>महोदय जी, निवेदन है कि गुताविक बैंक आदेश क्रमांक / 2025-26 / 113 दिनांक 26.09.2023 एवं गजद नोटिफिकेशन दिनांक 07.04.2025 की पालना बड़ीदा राजस्थान ग्रामीण बैंक का नाम बदलकर राजस्थान ग्रामीण बैंक किया जाना उचित है। मूल ही पत्रावली श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय कपासन को प्रेषित है।</p> <p>वर्तमान प्रविष्टि राजनवाल् युज बैंकवाल् जाट रजा. देह रदन बड़ेरा राजस्थान ग्रामीण बैंक धारवा Dhanawa</p> <p>शुद्ध प्रविष्टि राजनवाल् युज बैंकवाल् जाट रजा. देह रदन राजस्थान ग्रामीण बैंक धारवा Dhanawa</p> <p>03.10.25 तहसीलदार, कपासन चित्तौड़गढ़ (रा.)</p>	<p>तहसारीदर कपासन की अनुशंषा स्वीकार की जाकर राज.भू.रा.अधि.1956 की धारा 136 के अन्वये अनुसार राजस्व रेकार्ड में ग्राम लाखा का बड़ा प.ह. नुरसुबाना खुर्द खातासं में वर्तमान प्रविष्ट बड़ीदा राजस्थान ग्रामीण बैंक को शुद्ध किया जाकर राजस्थान ग्रामीण बैंक राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किये जाने का आदेश दिया जाता है।</p>

पदेन सहायक कलक्टर कपासन
 (उपखण्ड अधिकारी)
 कपासन जिला चित्तौड़गढ़

हरसाक्षर न गोहर तहसीलदार